इंश्योरेंस भी, सेविंग्स भी

मेरा नियमित प्रीमियम प्लान!

प्रस्तुत है LIC's

नव जीवन श्री

यूआईएन: 512N387V01
प्लान नं.: 912

नियमित प्रीमियम पेमेंट प्लान

लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकल समाधान.

- देय गारंटीड ॲडिशन्स – सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम (करों के बिना) के प्रतिशत के रूप में.
- सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि.
- 6/8/10/12 वर्ष की आकर्षक प्रीमियम भुगतान अवधियाँ.
- पॉलिसी अवधि विकल्प: 10 से 20 वर्ष.

प्लान ऑनलाइन भी उपलब्ध है

(एक नॉन–पार, नॉन–लिंक्ड, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना)

योगक्षेमं वहाम्यहम्
LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
हर पल आपके साथ

LIC/R1/2025-26/09/Hin/SB

अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेन्ट/अपनी निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करें/www.licindia.in पर जाएं

LIC मोबाइल ऐप डाउनलोड करें LIC digital | विज़िट करें: licindia.in | कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827 | हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'

हमें यहाँ फ़ॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

एलआईसी की नव जीवन श्री
(UIN: 512N387V01)
एक असहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत, योजना

एलआईसी की नव जीवन श्री एक असहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत बचत योजना है। यह योजना बचत और सुरक्षा का आकर्षक संयोजन प्रदान करती है और इसे विशेष रूप से आपकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त धन रखने के लिए तैयार किया गया है। यह गारंटीड एडीशन्स के साथ एक सीमित प्रीमियम एंडोमेंट योजना है। इस उत्पाद के अंतर्गत उपलब्ध प्रीमियम भुगतान अवधियाँ (पीपीटी) 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष हैं।

यह एक नॉन–पार योजना है जिसके अंतर्गत मृत्यु होने या जीवित रहने पर मिलने वाले हितलाभों की गारंटी है तथा निश्चित राशि दी जाती है, वास्तविक अनुभव के बावजूद भी। अत: यह पॉलिसी कोई विवेक आधारित हितलाभ जैसे कि बोनस आदि या अधिशेष राशि में हिस्सा नहीं प्रदान करती है।

इस योजना को ऑफ़लाइन लाइसेंस प्राप्त एजेन्ट्स, कॉर्पोरेट एजेन्ट्स ब्रोकर्स, इंश्योरेन्स मार्केटिंग फर्म्स, पॉइन्ट ऑफ़ सेल्स पर्सन–लाइफ इंश्योरेन्स (पीओएसपी–एलआई)/ कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर्स (सीपीएससी–एसपीवी) तथा ऑनलाइन सीधे वेबसाइट www.licindia.in के ज़रिए खरीदा जा सकता है।

प्रत्याशित पॉलिसीधारकों को सूचित किया जाता है कि वे खरीद संबंधी निर्णय लेते समय अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम विकल्प/उत्पाद चुनने हेतु सूचित निर्णय लेने के लिए इसके समान उपलब्ध अन्य उत्पादों का संदर्भ ले सकते हैं, जैसे वार्षिकी, यूएलआईपी आदि।

1. मुख्य विशेषताएं :

- इस योजना में सुरक्षा और बचत का प्रावधान है।
- हर वर्ष के अंत में पॉलिसी अवधि के दौरान भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में कुल सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में गारंटीड एडीशन्स।
- प्रारंभ में आवश्यकता के अनुसार **"मृत्यु पर बीमित राशि"** के दो विकल्पों में से जोखिम बीमा–सुरक्षा चुनने की सुविधा।
- निम्नांकित की सुविधा
    - o 6, 8, 10 या 12 वर्ष की प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी) का चयन।
    - o उस अवधि का चयन, जिसके लिए सुरक्षा आवश्यक है, 10 से 20 वर्ष (पीपीटी 6 वर्ष के लिए), 15 से 20 वर्ष (पीपीटी 8 और 10 वर्ष के लिए) और 16 से 20 वर्ष (पीपीटी 12 वर्ष के लिए)।
    - o परिपक्वता/मृत्यु हितलाभ का भुगतान किस्तों में करने का विकल्प चुनें।
- राइडर हितलाभों के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने पर राइडर हितलाभों का चयन कर बीमा सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प।
- उच्च बीमा राशि के लिए आकर्षक प्रोत्साहन राशि का लाभ।
- विद्यमान पॉलिसीधारक और मृतक पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी के लिए प्रोत्साहन राशि
- ऋण सुविधा के माध्यम से तरलता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति।

2. पात्रता की शर्तें तथा अन्य प्रतिबंध:

i	प्रवेश की न्यूनतम उम्र	30 दिन (पूरे किए हों)
ii	प्रवेश की अधिकतम उम्र	पीपीटी 6, 8 और 10 वर्ष के लिए 60 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) पीपीटी 12 वर्ष के लिए 59 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से प्राप्त पॉलिसियों के मामले में [65 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) में से पॉलिसी अवधि घटाकर]।
iii	परिपक्वता की न्यूनतम उम्र	18 वर्ष (पूर्ण)
iv	परिपक्वता की अधिकतम उम्र	75 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से प्राप्त पॉलिसियों के मामले में, 65 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
v	प्रीमियम की भुगतान अवधि (पीपीटी)	6, 8, 10 और 12 वर्ष
vi	पॉलिसी की न्यूनतम अवधि	पीपीटी 6 वर्ष के लिए 10 वर्ष पीपीटी 8 और 10 वर्ष के लिए 15 वर्ष पीपीटी 12 वर्ष के लिए 16 वर्ष
vii	पॉलिसी की अधिकतम अवधि	समस्त पीपीटी के लिए 20 वर्ष
viii	न्यूनतम बीमा राशि	रु. 5,00,000/–
ix	अधिकतम मूल बीमा राशि	कोई सीमा नहीं, बोर्ड अनुमोदित जोखिमांकन नीति के अधीन।
x	मूल बीमा राशि गुणक	मूल बीमा राशि 10,000/– रुपए के गुणकों में होगी।

जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि: यदि प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की उम्र 8 वर्ष से कम है, तो जोखिम या तो पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि से 2 वर्ष पूर्ण होने से, या 8 वर्ष की उम्र पूर्ण होने के साथ या उसके तुरंत बाद पॉलिसी वर्षगाँठ से, जो भी पहले हो, प्रारंभ होगा। प्रवेश के समय 8 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए जोखिम, जोखिम स्वीकार करने की तिथि, अर्थात पॉलिसी जारी होने की तिथि से तुरंत प्रारंभ हो जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत निहित होने की तिथि: यदि पॉलिसी किसी अवयस्क जीवन पर जारी की जाती है, तो 18 वर्ष की आयु पूरी होने के साथ या उसके तुरंत बाद आने वाली पॉलिसी वर्षगाँठ पर पॉलिसी स्वचलित रूप से बीमित व्यक्ति में निहित हो जाएगी और इस तरह निहित होने पर निगम और बीमित व्यक्ति के बीच अनुबंध मानी जाएगी।

3. हितलाभ:

चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ (जहां सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया जा चुका है) निम्नानुसार होंगे:

ए. मृत्यु हितलाभ:

प्रस्तावक के पास उपलब्ध दो विकल्पों के अनुसार "मृत्यु पर बीमा राशि" चुनने का विकल्प होगा।

आपको अपनों की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विकल्पों का चयन सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि चुने गए प्लान के अनुसार प्रीमियम तथा हितलाभों में भिन्नता होगी तथा इसे बाद में बदला नहीं जा सकता है।

विकल्प	**मृत्यु पर बीमा राशि**
विकल्प I	इनमें से जो भी ज़्यादा हो: • (सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम गुणित मॉडल समायोजन कारक) का 7 गुना; या • मूल बीमा राशि
विकल्प II	इनमें से जो भी ज़्यादा हो: • (सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम गुणित मॉडल समायोजन कारक) का 10 गुना; या • मूल बीमा राशि

नोट : उपरोक्त वर्णित सारणी में:

i) मॉडल समायोजन कारक पॉलिसीधारक द्वारा चयनित प्रीमियम भुगतान की विधि पर निर्भर करेगा और वह निम्नानुसार होगा:

प्रीमियम भुगतान की विधि	**मॉडल समायोजन कारक**
वार्षिक	1.0000
अर्द्ध–वार्षिक	1.0186
त्रैमासिक	1.0280
मासिक	1.0344

ii) **'सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम'**, चयनित मृत्यु पर बीमा राशि विकल्प और मूल बीमित राशि के लिए प्रीमियम होगी, जो किसी भी छूट या लोडिंग या किसी अतिरिक्त बीमांकन को शामिल करने से पहले बीमित व्यक्ति की आयु पर आधारित होगी और इसमें कोई कर और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं होंगे।

एक बार चुन लिए गए विकल्प को बाद में बदला नहीं जा सकता है।

जोखिम के आरंभ होने के बाद तथा परिपक्वता की तिथि से पहले पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अर्जित गारंटीड एडीशन्स के साथ "मृत्यु पर बीमा राशि" का भुगतान किया जाएगा, बशर्तें पॉलिसी चालू हो।

"मृत्यु पर बीमा राशि" चुने गए विवरण के अनुसार होगी, जिसका विवरण ऊपर सारणी में दिया गया है।

विकल्प ख व खख दोनों के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तिथि तक **"अदा किए गए कुल प्रीमियम्स"** के 105% से कम नहीं होगा।

जहाँ, **"कुल भुगतान की गई प्रीमियम"** का अर्थ मूल उत्पाद के अंतर्गत भुगतान की गई सभी प्रीमियमों का योग है, जिसमें स्पष्ट रूप से ली गई कोई भी अतिरिक्त प्रीमियम और कर शामिल नहीं हैं। अगर एलआईसी का प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर चुना गया है, तो प्रस्तावक की मृत्यु की दशा में, कोई भी बाद के प्रीमियम्स माफ कर दिए जाएंगे तथा उन्हें प्राप्त किया तथा अदा किए गए कुल प्रीमियम्स में शामिल माना जाएगा।

लेकिन अवयस्क बीमित व्यक्ति के मामले में, जहां प्रवेश करने की उम्र 8 वर्ष से कम है, जोखिम के आरंभ होने से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मृत्यु हितलाभ की राशि, अदा किए गए कुल प्रीमियम (कर, अतिरिक्त प्रीमियम

तथा राइडर प्रीमियम, अगर कोई हो को छोड़कर) को, बिना किसी ब्याज, लौटाना होगा, बशर्तें पॉलिसी चालू हो।

मृत्यु हितलाभ का भुगतान ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार एकमुश्त तथा/या किस्तों में किया जाएगा, (जैसा कि नीचे पैरा 4.III में विनिर्धारित किया गया है)।

बी. परिपक्वता हितलाभ:

परिपक्वता की निर्धारित तिथि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, बशर्तें पॉलिसी चालू हो, **"परिपक्वता पर बीमा राशि"** का प्रभावी पॉलिसी के लिए अर्जित गारण्टीड एडीशन्स के साथ भुगतान किया जाएगा; जहां, **"परिपक्वता पर बीमा राशि"** मूल बीमा राशि के समान है।

सी. चालू पॉलिसी के लिए गारंटीड एडीशन्स:

एक चालू पॉलिसी के अंतर्गत (जिसमें सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया है), पॉलिसी अवधि के दौरान गारंटीड एडीशन्स प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में अर्जित होंगी।

चालू पॉलिसी के लिए गारंटीड एडीशन्स की दर निम्नानुसार होगी:

पॉलिसी अवधि (वर्षों में)	गारंटीड एडीशन्स की दर (भुगतान की गई प्रीमियम के संबंध में कुल सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में)
10 से 13	8.50%
14 से 17	9.00%
18 से 20	9.50%

यदि कोई पॉलिसी अनुच्छेद 9 में निर्दिष्ट गारंटीड एडीशन्स की दर में वृद्धि के संदर्भ में किसी भी प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र है (अर्थात विद्यमान पॉलिसीधारक और मृतक पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी या ऑनलाइन विक्रय के लिए उच्च मूल बीमा राशि के लिए प्रोत्साहन राशि), तो पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीड एडीशन्स की लागू दर तक पहुंचने के लिए उपरोक्त गारंटीड एडीशन्स की दर को संबंधित प्रोत्साहन राशि द्वारा बढ़ाया जाएगा।

एक पॉलिसी वर्ष में चालू पॉलिसी के लिए लागू गारंटीड एडीशन्स गारंटीड एडीशन्स की लागू दर गुणित भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में कुल सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियमों के गुणनफल के बराबर होंगी।

चालू पॉलिसी के अंतर्गत, पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मृत्यु के वर्ष गारंटीड एडीशन्स का भुगतान पूरे पॉलिसी वर्ष के लिए किया जाएगा।

पूर्णतः चुकता पॉलिसी के मामले में (जहां पॉलिसी की संपूर्ण प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए देय सभी प्रीमियमों का भुगतान किया गया है), प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में गारंटीड एडीशन्स अर्जित होती रहेगी तथा यह चालू पॉलिसी के लिए लागू होगी।

4. उपलब्ध विकल्प:

I. राइडर हितलाभ:

इस प्लान के अंतर्गत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर निम्नांकित चार वैकल्पिक राइडर्स (या इनके संशोधित स्वरूप) उपलब्ध हैं। हालाँकि, पॉलिसीधारक द्वारा एलआईसी के दुर्घटनात्मक मृत्यु एवं दिव्यांगता हितलाभ राइडर या एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर में से किसी एक को तथा/या नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, पात्रता के अधीन बाकी दो राइडर्स को चुना जा सकता है।

ए) एलआईसी का दुर्घटनात्मक मृत्यु एवं दिव्यांगता हितलाभ राइडर (UIN: 512B209V02)

इसे मूल योजना की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर चालू पॉलिसी के अंतर्गत चुना जा सकता है, बशर्ते मूल योजना के साथ–साथ राइडर की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो, लेकिन यह पॉलिसी की वर्षगाँठ से पहले होना चाहिए, जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन आयु 65 वर्ष है। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण पॉलिसी अवधि के दौरान या पॉलिसी की वर्षगांठ से पहले उपलब्ध होगा, जिस दिन बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन आयु 70 वर्ष, जो भी पहले हो। यदि इस राइडर को चुना जाता है तो दुर्घटनावश मृत्यु होने के मामले में, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि मूल योजना के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के साथ एकमुश्त देय होगी। दुर्घटना के कारण (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के अंदर) अशक्तता पैदा होने पर दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के समान राशि का भुगतान 10 वर्षों की अवधि में समान मासिक किस्तों में किया जाएगा तथा दुर्घटना लाभ बीमा राशि के लिए भविष्य के प्रीमियम्स तथा मूल पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमा राशि, जो कि दुर्घटना लाभ बीमा राशि के समान है, के अंश हेतु प्रीमियम्स को माफ कर दिया जाएगा। अवयस्कों के जीवन पर पॉलिसी के अंतर्गत, यह राइडर 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर पॉलिसी वर्षगांठ से, इस विषय में विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर उपलब्ध होगा।

बी) एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ राइडर (UIN:512B203V03)

इसे मूल योजना की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर चालू पॉलिसी के अंतर्गत चुना जा सकता है, बशर्ते मूल योजना के साथ–साथ राइडर की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो, लेकिन यह पॉलिसी की वर्षगाँठ से पहले होना चाहिए, जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन आयु 65 वर्ष है। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध होगा। अगर इस राइडर को दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति के लिए चुना जाता है, तो दुर्घटना हितलाभ राइडर बीमा राशि एकमुश्त रूप में देय होगी। अवयस्कों के जीवन पर पॉलिसी के अंतर्गत, यह राइडर 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर पॉलिसी वर्षगांठ से, इस विषय में विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर उपलब्ध होगा।

सी) एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेन्स राइडर (UIN: 512B210V02)

यह राइडर केवल पॉलिसी के आरंभ में उपलब्ध है। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध होगा। अगर इस राइडर को चुना जाता है, तो बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर 'टर्म राइडर मृत्यु पर बीमा राशि' के समान एक राशि का भुगतान किया जाएगा।

डी) एलआईसी का प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर (UIN: 512B204V04)

किसी चालू पॉलिसी के अंतर्गत, किसी भी समय पॉलिसी के प्रस्तावक (क्योंकि बीमित व्यक्ति अवयस्क है) के जीवन पर इस राइडर को पॉलिसी वर्षगांठ के समय, लेकिन मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान लिया जा सकता है, बशर्तें मूल पॉलिसी तथा राइडर की प्रीमियम भरने की बकाया अवधि कम से कम पांच वर्ष हो। साथ ही पॉलिसी के अंतर्गत इस राइडर को लेने की वहां अनुमति होगी जहां इस राइडर को लेते समय बीमित व्यक्ति अवयस्क है। राइडर की अवधि इस राइडर को चुनने की तिथि को मूल पॉलिसी की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि या (25 – राइडर लेते समय अवयस्क बीमित व्यक्ति की उम्र) से जो भी कम हो, होगी। अगर राइडर की अवधि और प्रस्तावक की उम्र का जोड 70 वर्ष से अधिक हो तो राइडर की अनुमति नहीं होगी।

अगर इस राइडर को लिया जाता है तो, तो पॉलिसी अवधि के दौरान प्रस्तावक की मृत्यु होने पर, मृत्यु की तिथि के बाद से राइडर अवधि की समाप्ति तक देय होने वाले प्रीमियम्स को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन किसी स्थिति में, अगर मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि, राइडर की अवधि से अधिक हो तो इस प्रीमियम माफी बेनिफिट राइडर अवधि की समाप्ति की तिथि से देय होने वाले मूल पॉलिसी के अंतर्गत अगले प्रीमियम्स का भुगतान बीमित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ऐसे प्रीमियम्स का भुगतान न करने पर पॉलिसी चुकता पॉलिसी बन जाएगी।

सभी जीवन बीमा राइडर्स के अंतर्गत कुल प्रीमियम मूल प्लान के अंतर्गत प्रीमियमों के 30% से अधिक नहीं होगा।

एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर के संबंध में राइडर बीमा राशि मूल उत्पाद के अंतर्गत मूल बीमा राशि के तीन गुना से अधिक नहीं होगी। अन्य सभी राइडरों में से प्रत्येक के अंतर्गत उत्पन्न होने वाला कोई भी हितलाभ मूल प्लान के अंतर्गत मूल बीमा राशि से अधिक नहीं होगा।.

उपरोक्त राइडर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, राइडर ब्रोशर देखें या एलआईसी के नजदीक शाखा कार्यालय से संपर्क करें।.

पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी के ज़रिए ली गई पॉलिसियों के मामले में कोई राइडर उपलब्ध नहीं होगा.

II. निपटान विकल्प (परिपक्वता हितलाभ के लिए):

निपटान विकल्प प्रभावी और चुकता पॉलिसी के अंतर्गत परिपक्वता हितलाभ को एकमुश्त राशि के बदले 5 या 10 या 15 वर्षों की चुनी हुई अवधि में, किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प है। इस विकल्प को पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्तियों की अवयस्कता के दौरान या 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बीमित व्यक्तियों द्वारा, अपने जीवनकाल के दौरान, पॉलिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता हितलाभ के पूर्ण या एक हिस्से के लिए अपनाया जा सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात दावे की कुल राशि) दावे की कुल देय राशि के परम मूल्य या प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान, चुने गए अनुसार, वार्षिक या अर्द्ध–वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जो कि विभिन्न भुगतान माध्यमों के लिए नीचे दी गई न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगा:

किस्त भुगतान का माध्यम	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु. 5,000/–
त्रैमासिक	रु..15,000/–
अर्द्ध–वार्षिक	रु.25,000/–
वार्षिक	रु.50,000/–

अगर दावे की कुल राशि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प हेतु न्यूनतम किस्त राशि से कम है तो राशि का केवल एकमुश्त भुगतान ही किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए प्रत्येक किस्त की राशि की गणना करने के लिए इस्तेमाल की गई ब्याज दर 10 प्रतिशत अर्धवार्षिक जी–सेक दर मायनस 2%; जहां 10 वर्षीय अर्धवार्षिक जी–सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2025 से आरंभ कर 30 अप्रैल, 2026 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के दौरान सभी निपटान विकल्पों के संबंध में, भविष्य की किस्तों के लिए प्रयुक्त, या भविष्य की किस्तों में छूट देने वाली अधिकतम प्रभावी ब्याज दर 4.62% प्रति वर्ष होगी।

परिपक्वता हितलाभ में निपटान विकल्प का इस्तेमाल करना, पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति को परिपक्वता की देय तिथि से कम से कम 3 माह पहले, किस्तों में दावे की कुल राशि को पाने के लिए विकल्प को चुनना होगा।

पहला भुगतान परिपक्वता की तिथि को किया जाएगा और उसके बाद पॉलिसीधारक द्वारा चुने हुए किस्त भुगतान के माध्यम के अनुसार परिपक्वता की तिथि से प्रत्येक महीने या त्रैमासिक या अर्द्ध–वार्षिक या वार्षिक आधार पर, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा।

निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतान शुरू होने के बाद:

i. अगर किसी बीमित व्यक्ति ने जिसने परिपक्वता हितलाभ के निपटान विकल्प पर अमल किया है, अब उस विकल्प को वापस लेकर बकाया किस्तों को एक साथ लेना चाहता है, तो बीमित व्यक्ति से इस बारे में लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर इसकी अनुमति होगी। ऐसे मामले में, एकमुश्त राशि जो कि निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो, के समान होगी तथा पॉलिसी को रद्द कर दिया जाएगा।

- भविष्य में देय सभी किस्तों का रियायती मूल्य; या
- (मूल राशि जिसके लिए निपटान विकल्प पर अमल किया गया था) **कम** (अदा की जा चुकी किस्तों का योगफल)

ii. भविष्य के किस्त भुगतानों को डिस्काउंट करने के लिए अपनाई जाने वाली ब्याज दर 10 वर्ष तक के लिए छमाही जी–सेक दर से वार्षिक प्रभावी दर होगी; जहां 10 वर्ष की छमाही जी–सेक दर पूर्व वित्तीय वर्ष के अंतिम कामकाजी दिन, जिसके दौरान निपटान विकल्प को निपटाया गया था, के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2025 से आरंभ कर 30 अप्रैल, 2026 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के दौरान सभी निपटान विकल्पों के संबंध में, भविष्य की किस्तों के लिए प्रयुक्त, या भविष्य की किस्तों में छूट देने वाली अधिकतम प्रभावी ब्याज दर 6.62% प्रति वर्ष होगी।

iii. परिपक्वता की तिथि के पश्चात, बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, जिसने निपटान विकल्प चुना हो, बकाया किस्तों का भुगतान नामित व्यक्ति को बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार, बिना किसी बदलाव किया जाता रहेगा, और नामित व्यक्ति को इसमें कोई बदलाव नहीं करने दिया जाएगा।

III. मृत्यु हितलाभ को किस्तों में लेने का विकल्प:

यह मृत्यु हितलाभ को एकमुश्त राशि के बदले 5 या 10 या 15 वर्षों की चुनी हुई अवधि में, किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प है। इस विकल्प को पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान या 18 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के बीमित व्यक्तियों द्वारा, अपने जीवनकाल के दौरान, पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ के पूर्ण या एक हिस्से के लिए अपनाया जा सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात दावे की कुल राशि) दावे की कुल देय राशि का परम मूल्य या प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान, चुने गए अनुसार, वार्षिक या अर्द्ध–वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जो कि विभिन्न भुगतान माध्यमों के लिए नीचे दी गई न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगी।

किस्त भुगतान का माध्यम	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु. 5,000/–
त्रैमासिक	रु..15,000/–
अर्द्ध–वार्षिक	रु.25,000/–
वार्षिक	रु.50,000/–

अगर दावे की कुल राशि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प हेतु न्यूनतम किस्त राशि से कम है तो राशि का केवल एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए प्रत्येक किस्त की राशि की गणना करने के लिए इस्तेमाल की गई ब्याज दर 10 वर्ष अर्धवार्षिक छमाही जी–सेक दर मायनस 2% से प्रभावी दर कम नही होगी; जहां 10 वर्षीय अर्धवार्षिक जी–सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2025 से आरंभ कर 30 अप्रैल, 2026 तक चलने वाली 12 माह

की अवधि के दौरान सभी निपटान विकल्पों के संबंध में, भविष्य की किस्तों के लिए प्रयुक्त, या भविष्य की किस्तों में छूट देने वाली अधिकतम प्रभावी ब्याज दर 4.62% प्रति वर्ष होगी।

किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने के विकल्प पर अमल करना, बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान पॉलिसीधारक या बीमित व्यक्ति अगर वह वयस्क हो, पॉलिसी के चालू रहने के समय अपने जीवन काल में किस्त भुगतान की अवधि तथा कुल दावा राशि, जिसके लिए वह विकल्प पर अमल करना चाहता है, का उल्लेख करते हुए इस विकल्प को चुन सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार तब नामित व्यक्ति को मृत्यु दावे की राशि का भुगतान किया जाएगा और नामित व्यक्ति को इसमें कोई बदलाव नहीं करने दिया जाएगा।

5. प्रीमियमों का भुगतान :

प्रीमियम का भुगतान वार्षिक, छमाही, तिमाही या मासिक अंतराल पर (मासिक प्रीमियम केवल एनएसीएच के ज़रिए) या वेतन से कटौतियों के ज़रिए नियमित रूप से किया जा सकता है।

6. अनुग्रह अवधि:

भुगतान न हुए प्रीमियम की पहली तिथि से मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिन तथा वार्षिक या अर्ध–वार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिन की एक अनुग्रह अवधि होगी। इस अवधि के दौरान, इस पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, यह पॉलिसी बिना किसी रुकावट के, जोखिम बीमा–सुरक्षा के साथ प्रभावी मानी जाएगी। यदि अनुग्रह अवधि के दिन पूरे होने से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

उपरोक्त अनुग्रह अवधि उन हितलाभ प्रीमियमों के लिए भी लागू होगी, जो मूल पॉलिसी की प्रीमियम के साथ देय हैं।

7. प्रीमियम के नमूने का उदाहरण :

ऑफलाइन बेची जाने वाली पॉलिसियों के लिए उम्र 35 वर्ष के मानक जीवनों के लिए रु. 5 लाख की मूल बीमा राशि (बीएसए) की वार्षिक प्रीमियमों का उदाहरण निम्नानुसार है:

विकल्प I			
वार्षिक प्रीमियम (रु. में)			
प्रीमियम भुगतान अवधि	पॉलिसी अवधि		
	10	15	20
6	1,01,350	93,425	76,750
8	-	70,925	60,350
10	-	62,825	55,600
12	-	-	48,075

विकल्प II			
वार्षिक प्रीमियम (रु. में)			
प्रीमियम भुगतान अवधि	पॉलिसी अवधि		
	10	15	20
6	1,03,025	96,625	81,150
8	–	72,700	61,850
10	–	63,775	56,325
12	–	–	48,075

उपरोक्त प्रीमियमों में टैक्स शामिल नहीं है।

8. प्रीमियम रूपांतरण घटक:

प्रीमियम भुगतान के विभिन्न माध्यमों हेतु लागू प्रीमियम रूपांतरण घटक निम्न अनुसार हैं:

प्रीमियम भुगतान का माध्यम	प्रीमियम रूपांतरण घटक
वार्षिक	1.0000
अर्ध–वार्षिक	0.5093
त्रैमासिक	0.2570
मासिक	0.0862

वार्षिक विधि के अलावा अन्य देय प्रीमियमों की गणना लागू प्रीमियम रूपांतरण कारक को वार्षिक प्रीमियम से गुणा करके की जाएगी।

9. प्रोत्साहन राशि :

I. उच्च मूल बीमा राशि के लिए :

उच्च मूल बीमा राशि (बीएसए) के लिए प्रोत्साहन राशि की अनुमति गारंटीड एडीशन्स की दर में वृद्धि के रूप में होगी। भुगतान की गई प्रीमियम के संबंध में कुल सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में गारंटीड एडीशन्स के संदर्भ में प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार होगी:

उच्च मूल बीमा राशि के लिए प्रोत्साहन राशि (गारंटीड एडीशन्स की दर भुगतान की गई प्रीमियम के संबंध में कुल सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में)					
(पीपीटी) (वर्ष)	मूल बीमा राशि (रु.)				
	5,00,000 से लेकर 7,00,000 से कम तक	7,00,000 से लेकर 10,00,000 से कम तक	10,00,000 से लेकर 15,00,000 से कम तक	15,00,000 से लेकर 20,00,000 से कम तक	20,00,000 या उससे अधिक
6	शून्य	0.07%	0.08%	0.10%	0.12%
8	शून्य	0.10%	0.12%	0.20%	0.25%
9	शून्य	0.12%	0.15%	0.25%	0.30%
10	शून्य	0.15%	0.20%	0.30%	0.35%

II. ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि :

ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत अभिकर्ता/मध्यस्थ की सहायता के बिना पूरा किया जाने वाला प्रस्ताव गारंटीड एडीशन्स की दर में वृद्धि के रूप में प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होगा। भुगतान की गई प्रीमियम के संबंध में कुल सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में गारंटीड एडीशन्स के संदर्भ में प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार होगी :

प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी) (वर्ष)	**गारंटीड एडीशन्स की दर (भुगतान की गई प्रीमियम के संबंध में कुल सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में)**
6 और 8	0.75%
10 और 12	1.25%

III. विद्यमान पॉलिसीधारक और मृतक पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी के लिए प्रोत्साहन राशि :

प्रोत्साहन राशि गारंटीड एडीशन्स की दर में वृद्धि के रूप में होगी।

इस योजना के अंतर्गत मृतक पॉलिसीधारक के नामिति या लाभार्थी सहित विभिन्न श्रेणी के विद्यमान पॉलिसीधारकों के लिए भुगतान की गई प्रीमियम के संबंध में कुल सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में गारंटीड एडीशन्स के संदर्भ में प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार होगी:

पॉलिसीधारक की श्रेणी	**प्रोत्साहन राशि**	
	पीपीटी (वर्षों में)	**गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर (भुगतान की गई प्रीमियम के संबंध में कुल सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में)**
यदि किसी मौजूदा पॉलिसीधारक के पास निगम की पॉलिसी है, जो इस उत्पाद के अंतर्गत प्रस्ताव के पंजीकरण से एक वर्ष के भीतर परिपक्व हो गई है और उसके द्वारा इस योजना को अपने जीवन और/या परिवार के किसी सदस्य के जीवन पर खरीदा जाता है* ; **या** यदि यह योजना निगम के मृतक पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी द्वारा खरीदी जाती है, जहाँ मृत्यु की तिथि इस उत्पाद के अंतर्गत प्रस्ताव के पंजीकरण से एक वर्ष के भीतर है; **या** यदि यह योजना किसी मौजूदा पॉलिसीधारक द्वारा खरीदी जाती है, जिसके पास निगम की एक चालू पॉलिसी है। (*परिवार के सदस्यों का अर्थ है दादा-दादी, माता-पिता, पति/पत्नी, बच्चे या पोते-पोतियाँ)	6	0.05%
	8	0.10%
	10	0.12%
	12	0.15%

10. पुनर्चलन:

यदि अनुग्रह अवधि के भीतर प्रीमियमों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। किसी कालातीत पॉलिसी को भुगतान न की गई पहली प्रीमियम की तिथि से 5 क्रमागत वर्षों की अवधि के भीतर और परिपक्वता की तिथि से पहले, जैसा भी मामला हो, पुनर्चलित करवाया जा सकता है। यह पुनर्चलन समय-समय पर निगम द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली दरों पर ब्याज (चक्रवृद्धि अर्द्ध-वार्षिक) के साथ प्रीमियम(मों) की समस्त बकाया राशियों के भुगतान पर एवं जीवन बीमित व्यक्ति और/या प्रस्तावक (यदि एलआईसी का प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर चुना

गया हो) की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि होने पर प्रभावी होगा, और यह संतुष्टि उन जानकारियों, दस्तावेजों और प्रतिवेदनों के आधार पर होगी, जो पहले से ही उपलब्ध हैं और इस संबंध में ऐसी किन्हीं अतिरिक्त जानकारियों के आधार पर होगी, जो पुनर्चलन के समय पर निगम की बीमांकन नीति के अनुसार आवश्यक हो सकती हैं और जिन्हें पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा प्रदान किया जाता है।

निगम के पास मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों पर स्वीकार करने या स्थगित पॉलिसी के पुनर्चलन से इन्कार करने का अधिकार सुरक्षित है। स्थगित पॉलिसी का पुनर्चलन केवल उसे निगम द्वारा स्वीकृत करने एवं पॉलिसीधारक को विशेष रूप से इसके बारे में पुनर्चलन रसीद जारी किए जाने के बाद प्रभावी होगा।

1 मई से आरंभ कर 30 अप्रैल तक चलने वाली प्रत्येक 12 माह की अवधि के लिए, इस प्लान के अंतर्गत पुनर्चलन के लिए लागू ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि के साथ 10 वर्षीय जी–सेक प्रतिफल में 3% जोड़कर उसके योग, या निगम की असंबद्ध, असहभागी निधि पर अर्जित प्रतिफल में 1% जोड़कर उसके योग, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2025 से आरंभ कर 30 अप्रैल, 2026 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के लिए, लागू ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि के साथ 9.50% प्रति वर्ष होगी। पॉलिसी पुनर्चलन के लिए ब्याज दर निर्धारण के आधार में परिवर्तन हो सकता है।

कालातीत या चुकता पॉलिसी के पुर्नचलन पर, पॉलिसी के अंतर्गत सभी हितलाभ, जो कि पॉलिसी के कालातीत या चुकता होने की तिथि से पहले उपलब्ध थे, बहाल हो जाएंगे।

राइडर(रों) के पुनर्चलन, यदि इसे चुना गया हो, को मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही माना जाएगा, अलग से नहीं।

11. पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन–लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी – एलआई) और सीपीएससी– एसपीवी के माध्यम से खरीदी गई योजना :

इस योजना को पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन–लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी–एलआई) और सीपीएससी–एसपीवी के ज़रिए खरीदा जा सकता है। लेकिन ऐसे मामलों में पात्रता की शर्तें तथा लागू अन्य शर्तें और प्रतिबंध आईआरडीएआई द्वारा पीओएस प्लान्स तथा पीओएसपी–एलआई को लागू दिशानिर्देशों, परिपत्रों तथा विनियमों के अनुसार होंगी। वर्तमान में पीओएसपी–एलआई और सीपीएससी–एसपीवी के ज़रिए प्राप्त किए गए प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध लागू हैं:

- प्रवेश के समय अधिकतम आयु : 65 वर्ष (जन्मदिन के निकट की आयु) में से पॉलिसी अवधि घटाकर
- परिपक्वता पर अधिकतम आयु : 65 वर्ष (जन्मदिन के निकट की आयु)
- मृत्यु पर अधिकतम बीमा राशि (प्रति जीवन) : रु. 25 लाख

एलआईसी की नव जीवन श्री असंबद्ध, असहभागी, बंदोबस्ती श्रेणी के पीओएस लाइफ़ प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आता है, अगर इसे पीओएसपी–एलआई या सीपीएससी–एसपीवी के ज़रिए खरीदा गया हो। असंबद्ध, असहभागी, बंदोबस्ती प्रोडक्ट्स की इस श्रेणी में सभी योजनाओं के अंतर्गत सभी पॉलिसियों के संदर्भ में प्रत्येक मृत्यु पर अधिकतम स्वीकार्य बीमा राशि रु.25 लाख होगी, अगर उन्हें पीओएसपी–एलआई और सीपीएससी–एसपीवी चैनल (दोनों शामिल) के ज़रिए खरीदा गया हो।

तथापि, प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु पर अधिकतम स्वीकार्य बीमा राशि का निर्धारण, निगम की जोखिमांकन नीति के साथ इस उत्पाद के अंतर्गत गैर–चिकित्सीय सीमाओं के अनुसार किया जाएगा।

- पीओएसपी–एलआई और सीपीएससी–एसपीवी के ज़रिए प्राप्त की गई पॉलिसियों

के मामले में कोई राइडर उपलब्ध नहीं होगी।

- अगर बिक्री की शुरूआत पीओएसपी–एलआई तथा सीपीएससी–एसपीवी के द्वारा की जाती है तो एलआईसी की नव जीवन श्री हेतु लागू विशेषता दस्तावेज (केएफडी) व प्रस्ताव प्रपत्र इस्तेमाल किया जाएगा।

12. चुकता मूल्य:

इस पॉलिसी के संबंध में यदि एक वर्ष से कम प्रीमियम का भुगतान किया गया है, और किसी भी अनुवर्ती प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी के अंतर्गत सभी लाभ भुगतान न की गई पहली प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद स्थगित हो जाएँगे और कुछ भी देय नहीं होगा।

यदि कम से कम एक पूर्ण वर्ष के प्रीमियम का भुगतान किया गया है और किसी भी अनुवर्ती प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी पूर्णत: अमान्य नहीं होगी, बल्कि पॉलिसी अवधि के अंत तक चुकता पॉलिसी के रूप में कायम रहेगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत **मृत्यु पर बीमा राशि** घटकर एक ऐसी राशि हो जाएगी जिसे **"मृत्यु पर चुकता बीमा राशि"** कहा गया है और वह मृत्यु पर बीमा राशि *गुणित* उस कुल अवधि के अनुपात, जिसके लिए प्रीमियमों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, उस अधिकतम अवधि के लिए, जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थे, के बराबर होगी। बीमाधारक की मृत्यु पर एक चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ, चुकता पॉलिसी के लिए उपार्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि के साथ मृत्यु प्रदत्त बीमित राशि होगी (जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है)। यह मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा।

हालांकि अवयस्क के मामले में, जिसमें पॉलिसी जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि से पहले चुकता हो जाती है, ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ, भुगतान की गई कुल प्रीमियमों (करों, बीमांकन निर्णय के कारण पॉलिसी के अंतर्गत प्रभार्य कोई अतिरिक्त राशि और राइडर प्रीमियम (यदि कोई हो) की वापसी बिना ब्याज के होगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत **परिपक्वता पर चुकता बीमा राशि** घटकर एक ऐसी राशि हो जाएगी जिसे **"परिपक्वता पर चुकता बीमा राशि"** कहा गया है और वह **परिपक्वता पर बीमा राशि** *गुणित* उस कुल अवधि के अनुपात, जिसके लिए प्रीमियमों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, उस अधिकतम अवधि के लिए, जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थे, के बराबर होगी। पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर, चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता हितलाभ, चुकता पॉलिसी के लिए उपार्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि (जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है) के साथ परिपक्वता चुकता बीमा राशि होगी।

चुकता पॉलिसी के लिए गारंटीड एडीशन्स :

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीकृत एडीशन्स निम्नलिखित का योग होगी:

ए) उस अवधि के लिए, जिसके लिए पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया है : पॉलिसी के अंतर्गत अर्जित गारंटीड एडीशन्स, चालू पॉलिसी के लिए लागू दर के साथ, पॉलिसी के अंतर्गत जुड़ी रहेंगी।

बी) उस पॉलिसी वर्ष के लिए, जिसके लिए पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है (वह वर्ष जिसमें पॉलिसी चुकता हो जाती है) और उसके बाद के पॉलिसी वर्षों के लिए: गारंटीड एडीशन्स निम्नानुसार होगी:

i) जिस पॉलिसी वर्ष के लिए पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है, उस पॉलिसी वर्ष के अंत में गारंटीड एडीशन्स अर्जित होगी और यह चालू पॉलिसी के लिए लागू दर के साथ, लागू अवधि के लिए आनुपातिक गारंटीड एडीशन्स और चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत एडीशन्स की दर के साथ पॉलिसी के चुकता होने की अवधि के लिए आनुपातिक गारंटीड एडीशन्स का योग होगी (जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है)।

ii) पॉलिसी अवधि के दौरान आगामी पॉलिसी वर्षों के लिए, गारंटीड एडीशन्स प्रत्येक

पूर्ण पॉलिसी वर्ष के अंत में चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीड एडीशन्स की दर के साथ अर्जित होंगी (जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है)।

चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीड एडीशन्स की दर, चालू पॉलिसी के लिए लागू गारंटीड एडीशन्स की दर (जैसा कि अनुच्छेद 3.सी में निर्दिष्ट है) *गुणित* उस कुल अवधि, जिसके लिए प्रीमियमें मूल रूप से देय थीं, का उस कुल अवधि, जिसके लिए प्रीमियमों का पहले से भुगतान कर दिया गया है, से अनुपात के गुणनफल के बराबर होगी।

चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत एडीशन्स की यह दर चुकता पॉलिसी के अंतर्गत समान रहेगी।

चुकता पॉलिसी के लिए प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में अर्जित होने वाली लागू गारंटीड एडीशन्स, एक चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीड एडीशन्स की दर (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है) गुणित भुगतान की गई प्रीमियम के संबंध में कुल सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के गुणनफल के बराबर होगी। यह गारंटीड एडीशन्स उस अवधि के दौरान समान रहेगी, जब तक पॉलिसी चुकता पॉलिसी के रूप में जारी रहती है। चुकता पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु होने की स्थिति में, जिस पॉलिसी वर्ष में पॉलिसी के परिणामस्वरूप मृत्यु का दावा हुआ है, उसके लिए लागू गारंटीड एडीशन्स को उस पॉलिसी वर्ष के पूर्ण हुए महीनों के अनुपात में आनुपातिक आधार पर जोड़ा जाएगा, जिसमें पॉलिसी के परिणामस्वरूप मृत्यु का दावा हुआ है (अर्थात मृत्यु की तिथि तक की अवधि)।

इसके बाद इस प्रकार न्यूनकृत पॉलिसी उल्लेखित प्रीमियमों के भुगतान के लिए सभी देनदारियों से मुक्त हो जाएगी।

अगर पॉलिसी कालातीत अवस्था में हो तो राइडर कोई चुकता मूल्य नहीं अर्जित करेगी तथा राइडर हितलाभ समाप्त हो जाएंगे।

13. अभ्यर्पण:

पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी किसी भी समय अभ्यर्पित की सकती है, बशर्ते कि एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो। हालाँकि, पॉलिसी कम से कम दो पूर्ण वर्षों की प्रीमियम के भुगतान पर गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य और पहला पॉलिसी वर्ष पूरा होने के बाद विशेष अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त करेगी, बशर्ते कि एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो।

चालू या चुकता पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, निगम द्वारा निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो, के रूप में अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

ए) गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य और किसी भी अर्जित गारंटीड एडीशन्स का अभ्यर्पण मूल्य; या

बी) विशेष अभ्यर्पण मूल्य.

पॉलिसी अवधि के दौरान देय गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कुल भुगतान की गई प्रीमियम (किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम, राइडर प्रीमियम (यदि चयनित हो) और करों (यदि इन्हें स्पष्ट रूप से लिया गया हो) को छोड़कर, को भुगतान की गई कुल प्रीमियमों पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक से गुणा करके किया जाएगा।

ये गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य घटक कुल प्रीमियम्स पर लागू हैं तथा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं और ये पॉलिसी अवधि तथा पॉलिसी के अभ्यर्पण करने के वर्ष पर निर्भर करेंगे. इन्हें नीचे दिए गए अनुसार विनिर्धारित किया गया है:

उपार्जित गारंटीकृत अभिवृद्धियों के लिए लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक											
	पॉलिसी अवधि										
पॉलिसी वर्ष	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
3	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
8	65.00%	60.00%	57.50%	56.00%	55.00%	54.29%	53.75%	53.33%	53.00%	52.73%	52.50%
9	90.00%	70.00%	65.00%	62.00%	60.00%	58.57%	57.50%	56.67%	56.00%	55.45%	55.00%
10	90.00%	90.00%	72.50%	68.00%	65.00%	62.86%	61.25%	60.00%	59.00%	58.18%	57.50%
11		90.00%	90.00%	74.00%	70.00%	67.14%	65.00%	63.33%	62.00%	60.91%	60.00%
12			90.00%	90.00%	75.00%	71.43%	68.75%	66.67%	65.00%	63.64%	62.50%
13				90.00%	90.00%	75.71%	72.50%	70.00%	68.00%	66.36%	65.00%
14					90.00%	90.00%	76.25%	73.33%	71.00%	69.09%	67.50%
15						90.00%	90.00%	76.67%	74.00%	71.82%	70.00%
16							90.00%	90.00%	77.00%	74.55%	72.50%
17								90.00%	90.00%	77.27%	75.00%
18									90.00%	90.00%	77.50%
19										90.00%	90.00%
20											90.00%

जीएसवी की गणना के लिए, उपार्जित गारंटीड एडीशन्स में प्रत्येक पूर्ण पॉलिसी वर्ष के लिए गारंटीकृत अभिवृद्धि तथा पॉलिसी वर्ष के लिए पूर्ण महीनों के अनुपात में आनुपातिक आधार पर गारंटीकृत अभिवृद्धि शामिल होगी, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की गई है। लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि अनुच्छेद 3सी तथा अनुच्छेद 12 में निर्दिष्ट अनुसार होगी।

किसी भी उपार्जित गारंटीड एडीशन्स का अभ्यर्पण मूल्य उपार्जित गारंटीड एडीशन्स को उपार्जित गारंटीड एडीशन्स पर लागू जीएसवी कारक से गुणा करके प्राप्त किया जाएगा।

ये गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य घटक उपार्जित गारंटीड एडीशन्स पर लागू हैं तथा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं और ये पॉलिसी अवधि तथा पॉलिसी के अभ्यर्पण करने के वर्ष पर निर्भर करेंगे। इन्हें नीचे दिए गए अनुसार विनिर्धारित किया गया है:

भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के लिए लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के लिए लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक											
	पॉलिसी अवधि										
पॉलिसी वर्ष	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%
3	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%
4	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%
5	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%
6	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%
7	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%
8	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%
9	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%
10	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%
11		35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%
12			35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%
13				35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%
14					35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%
15						35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%
16							35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%
17								35.00%	30.00%	27.06%	25.05%
18									35.00%	30.00%	27.06%
19										35.00%	30.00%
20											35.00%

विशेष अभ्यर्पण मूल्य की आईआरडीएआई के जीवन बीमा उत्पादों पर प्रधान परिपत्र देखें: आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआईआर/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांकित 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किसी भी

अनुवर्ती परिपत्रों के अनुरूप वार्षिक रूप से समीक्षा की जाएगी।

राइडर (यदि कोई हो) पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान के बाद, पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और कोई और लाभ देय नहीं होगा।

14. पॉलिसी ऋण:

निम्नलिखित के अधीन, पॉलिसी अवधि के दौरान अभ्यर्पण मूल्य के भीतर ऋण उपलब्ध होगा:

i. पहला पॉलिसी वर्ष पूरा होने के बाद पॉलिसी के अंतर्गत ऋण का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो।

ii. पॉलिसी के अंतर्गत, अभ्यर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में, अधिकतम ऋण निम्नानुसार होगा:

पॉलिसी की स्थिति	दो पूर्ण वर्ष की प्रीमियम के भुगतान से पहले	दो पूर्ण वर्ष की प्रीमियम के भुगतान के बाद
चालू पॉलिसियों के अंतर्गत	50%	80%
चुकता पॉलिसियों के अंतर्गत	40%	70%

iii. 1 मई से आरंभ कर 30 अप्रैल तक चलने वाली प्रत्येक 12 माह की अवधि के लिए प्राप्त किए जाने वाले ऋण के लिए पूर्ण ऋण अवधि के लिए लागू ऋण की ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन तक अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि के साथ 10 वर्षीय जी-सेक प्रतिफल में 3% जोड़कर उसके योग, या निगम की असंबद्ध, प्रतिभागी निधि पर अर्जित प्रतिफल में 1% जोड़कर उसके योग, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2025 से आरंभ कर 30 अप्रैल, 2026 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए लागू ब्याज दर ऋण की पूरी अवधि के लिए अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 9.5% प्रति वर्ष होगी। पॉलिसी ऋण के लिए लागू ऋण ब्याज के निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

iv. पॉलिसी अवधि के दौरान, देय तिथियों पर ब्याज भुगतान में चूक होने की स्थिति में और ब्याज सहित बकाया ऋण की राशि अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाने पर, निगम ऐसी पॉलिसियों का पूर्वसमापन करने का अधिकारी होगा। पूर्वसमापन किए जाने पर ऐसी पॉलिसियाँ अभ्यर्पण मूल्य और ब्याज के साथ ब्याज ऋण की बकाया राशि के अंतर, यदि कोई हो, के भुगतान की अधिकारी होंगी।

v. पॉलिसी से बाहर निकलते समय दावे की राशि से किसी बकाया ऋण की ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

15. कुछ घटनाओं में जब्ती:

यदि पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई है, तो, और ऐसी प्रत्येक स्थिति में पॉलिसी निरस्त हो जाएगी और इसके आधार पर किसी भी हितलाभ के सभी दावे समय-समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

16. पॉलिसी की समाप्ति:

निम्नलिखित में से कोई भी घटना सबसे पहले घटित होने पर पॉलिसी तुरंत और स्वचलित रूप से समाप्त हो जाएगी:

ए) जिस तिथि को एकमुश्त मृत्यु हितलाभ/मृत्यु हितलाभ की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाता है; या

बी) जिस तिथि को पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण हितलाभों का निपटान किया जाता

है; या

सी) यदि निपटान विकल्प का प्रयोग नहीं या जाता है, तो परिपक्वता की तिथि पर; या

डी) निपटान विकल्प के अंतर्गत अंतिम किस्तों के भुगतान पर; या

ई) अनुच्छेद 14.iv. में निर्दिष्टानुसार ऋण के ब्याज के भुगतान में चूक होने की स्थिति में; या

एफ) पुनर्चलन अवधि की समाप्ति पर, यदि चुकता पॉलिसी को पुनर्चलन की अवधि के भीतर पुनर्चलित नहीं किया गया है;

जी) मुक्त अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर; या

एच) अनुच्छेद 15 में निर्दिष्टानुसार जब्ती की स्थिति

17. कर:

भारत सरकार या किसी अन्य संवैधानिक भारतीय कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर आरोपित वैधानिक कर, यदि कोई हो, कर कानूनों के अनुसार होंगे और कर की दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी।

इस पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियम(मों) पर प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि पॉलिसीधारक द्वारा देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम(मों) के अलावा अलग से संग्रहित किया जाएगा। भुगतान की गई कर की राशि पर इस योजना के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

आयकर लाभों/भुगतान की गई प्रीमियम(मों) पर निहितार्थों एवं इस योजना के अंतर्गत देय लाभों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

18. निशुल्क अवलोकन अवधि:

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के नियमों व शर्तों से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी दस्तावेज़ की इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर पॉलिसी को आपत्तियों का कारण बताते हुए निगम को वापस किया जा सकता है। इसकी प्राप्ति पर निगम राइडर को रद्द कर देगा और कवर की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (इस राइडर के लिए) में कटौती करने के बाद राइडर के संबंध में जमा प्रीमियम की राशि वापस कर देगा, राइडर को शामिल करने के कारण चिकित्सा परीक्षा (विशेष रिपोर्ट, यदि कोई हो) पर किए गए खर्च और स्टांप ड्यूटी शुल्क की कटौती की जाएगी।

19. आत्महत्या संबंधी अपवर्जन:

i. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) जोखिम के शुरू होने की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो बीमित व्यक्ति का नामित व्यक्ति या लाभार्थी कुल अदा किए गए प्रीमियम्स में से (किसी भी कर को छोड़कर, यदि इसे स्पष्ट रूप से लिया गया है, अतिरिक्त प्रीमियम और टर्म एश्योरेंस राइडर के अलावा राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो) मृत्यु की तिथि तक आने वाली राशि का 80% पाने का पात्र होगा। बशर्ते पॉलिसी चालू हो। यह खंड उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जब बीमित व्यक्ति की प्रवेश पर उम्र 8 वर्ष से कम हो। और ऐसी स्थिति में 8 वर्ष से कम आयु के बीमित व्यक्ति के लिए लागू मृत्यु हितलाभ देय होगा।

ii. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) पुर्नचलन की तिथि से 12 महीने के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो मृत्यु की तिथि तक कुल अदा किए गए कुल प्रीमियम्स (किसी भी कर को छोड़कर, यदि इसे स्पष्ट रूप से लिया गया है, अतिरिक्त प्रीमियम और टर्म एश्योरेंस राइडर के अलावा राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो) के 80% या मृत्यु की तिथि को उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य,

में से जो भी अधिक हो, को पाने पात्र होगा। बीमित व्यक्ति का नामित व्यक्ति या लाभार्थी पॉलिसी के अंतर्गत किसी अन्य दावे का पात्र नहीं होगा।

यह खंड लागू नहीं होगा:

ए) यदि पुनर्चलन के समय पर जीवन बीमित व्यक्ति की आयु 8 वर्ष से कम है; और ऐसी स्थिति में 8 वर्ष से कम आयु के बीमित व्यक्ति के लिए लागू मृत्यु हितलाभ देय होगा; या

बी) पॉलिसी बिना कोई चुकता मूल्य अर्जित किए कालातीत हो जाती है और ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होता है।

20. प्रतीक्षा अवधि :

अगर प्लान को पॉइन्ट ऑफ़ सेल्स पर्सन्स–लाइफ़ इंश्योरेन्स (पीओएसपी–एलआई) या सीपीएससी–एसपीवी के ज़रिए खरीदा जाता है, तो जोखिम के आरंभ होने की तिथि से पहले 90 दिनों के अंदर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, निगम द्वारा कि गई सभी किस्ते वापस कर दी जाएगी, बशर्तें पॉलिसी चालू हो तथा मृत्यु दुर्घटना से न हुई हो। लेकिन, अगर प्रतीक्षा अवधि में मृत्यु का कारण दुर्घटना हो, तो पैरा 3ए में विनिर्धारित अनुसार मृत्यु हितलाभ देय होगा। यदि बीमित व्यक्ति की प्रवेश करने की उम्र 8 वर्ष से कम हो तो यह प्रावधान लागू नही होगा।

21. हितलाभ का नमूना उदाहरण :

संभावित/पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति का विवरण	
वितरण चैनल:	ऑफ़लाइन
संभावित ग्राहक/पॉलिसीधारक का नाम:	
उम्र:	
बीमित व्यक्ति का नाम:	
उम्र:	30

पॉलिसी विवरण	**प्रस्ताव संख्या:**
विकल्प	**विकल्प I**
मूल बीमा राशि (रु.)	1,000,000
मृत्यु पर बीमा राशि (पॉलिसी के प्रारंभ में)* रु.	1,000,000
पॉलिसी अवधि:	20
प्रीमियम भुगतान अवधि:	8
किस्त प्रीमियम की राशि (मूल योजना के लिए):	**119,500**
प्रीमियम के भुगतान का माध्यम:	**वार्षिक**

यह हितलाभ उदाहरण पॉलिसी के अंतर्गत देय वार्षिक प्रीमियम और हितलाभों को दर्शाता है।

प्रीमियम का सारांश			
	मूल योजना	राइडर [1]	कुल किस्त प्रीमियम
जीएसटी के बिना किस्त प्रीमियम	**119,500.00**		**119,500.00**

पहले वर्ष की @ 4.50% जीएसटी के साथ किस्त प्रीमियम	124,878.00		124,878.00
किस्त प्रीमियम, किस्त सहित @ 2.25% (दूसरे वर्ष से)	122,188.75		122,188.75

टिप्पणी: जीएसटी दर समय–समय पर लागू नियमों के अनुसार होगी.

(राशि रुपए में)

"पॉलिसी वर्ष (वर्ष की समाप्ति पर)"	वार्षिक [2] प्रीमियम (संचयी)	गारंटीड				गारंटीकृत नहीं	अभ्यर्पण मूल्य देय
		निश्चित अभिवृद्धियाँ	परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ [3]	गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य (GSV)	विशेष अभ्यर्पण मूल्य (SSV)4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	119,500	11,495.90	0	1,011,496	0	44,987	44,987
2	239,000	34,487.70	0	1,034,488	77,194	113,388	113,388
3	358,500	68,975.40	0	1,068,975	136,663	206,965	206,965
4	478,000	114,959.00	0	1,114,959	258,060	327,160	327,160
5	597,500	172,438.50	0	1,172,439	328,116	475,507	475,507
6	717,000	241,413.90	0	1,241,414	400,941	652,709	652,709
7	836,500	321,885.20	0	1,321,885	474,837	859,810	859,810
8	956,000	413,852.40	0	1,413,852	574,986	1,096,780	1,096,780
9	956,000	505,819.60	0	1,505,820	616,089	1,175,335	1,175,335
10	956,000	597,786.80	0	1,597,787	658,258	1,259,343	1,259,343
11	956,000	689,754.00	0	1,689,754	701,894	1,349,392	1,349,392
12	956,000	781,721.20	0	1,781,721	747,434	1,445,790	1,445,790
13	956,000	873,688.40	0	1,873,688	795,526	1,549,283	1,549,283
14	956,000	965,655.60	0	1,965,656	846,639	1,659,917	1,659,917
15	956,000	1,057,622.80	0	2,057,623	901,771	1,778,775	1,778,775
16	956,000	1,149,590.00	0	2,149,590	961,874	1,906,362	1,906,362
17	956,000	1,241,557.20	0	2,241,557	1,028,010	2,043,089	2,043,089
18	956,000	1,333,524.40	0	2,333,524	1,101,752	2,189,862	2,189,862
19	956,000	1,425,491.60	0	2,425,492	1,288,047	2,347,782	2,347,782
20	956,000	1,517,458.80	2,517,459	2,517,459	1,391,511	2,517,459	2,517,459

टिप्पणियाँ:

इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पादों की विशेषताएँ और कुछ स्तर तक परिमाणीकरण के साथ लाभ का प्रवाह पहचान पाएँ।

यह दृष्टांत एक मानक (चिकित्सीय, जीवन शैली और व्यवसायिक दृष्टि से) जीवन पर लागू होता है।

1. इसमें पॉलिसी आरंभ होने पर प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए सभी राइडर(रों) के संबंध में राइडर प्रीमियम शामिल हैं।
2. वार्षिक प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम पर प्रभार की आवृत्ति, राइडरों के प्रति भुगतान की गई प्रीमियम, यदि कोई हो, और वस्तु और सेवा कर शामिल नहीं हैं।
3. मृत्यु हितलाभ प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चयनित विकल्प पर आधारित होगा। विभिन्न विकल्पों के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के विस्तृत विवरणों के लिए विक्रय साहित्य देखें।
4. अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से उच्चतर होगा। विशेष अभ्यर्पण मूल्य की आईआरडीएआई के जीवन बीमा उत्पादों पर प्रधान परिपत्र देखें: आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआईआर/एम आईएससी/89/6/2024 दिनांकित 12 जून, 2024 और इस संबंध में

आईआरडीएआई द्वारा जारी किन्हीं अनुवर्ती परिपत्रों के अनुरूप समीक्षा की जाएगी।

*8 वर्ष से कम आयु के अवयस्कों के मामले में, ऊपर प्रदर्शित मृत्यु पर बीमित राशि (पॉलिसी के प्रारंभ में) जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि के बाद लागू होगी।

संभावित/पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति का विवरण	
वितरण चैनल:	ऑफ़लाइन
संभावित ग्राहक/पॉलिसीधारक का नाम:	
उम्र:	
बीमित व्यक्ति का नाम:	
उम्र:	30

पॉलिसी विवरण	**प्रस्ताव संख्या:**
विकल्प	**विकल्प II**
मूल बीमा राशि (रु.)	1,000,000
मृत्यु पर बीमा राशि (पॉलिसी के प्रारंभ में)* रु.	1,213,000
पॉलिसी अवधि:	20
प्रीमियम भुगतान अवधि:	8
किस्त प्रीमियम की राशि (मूल योजना के लिए):	**121,300**
प्रीमियम के भुगतान का माध्यम:	**वार्षिक**

यह हितलाभ उदाहरण पॉलिसी के अंतर्गत देय वार्षिक प्रीमियम और हितलाभों को दर्शाता है।

प्रीमियम का सारांश			
	मूल योजना	राइडर [1]	कुल किस्त प्रीमियम
जीएसटी के बिना किस्त प्रीमियम	**121,300.00**		**121,300.00**
पहले वर्ष की 4.50% जीएसटी के साथ किस्त प्रीमियम	**126,759.00**		**126,759.00**
किस्त प्रीमियम, किस्त सहित @ 2.25% (दूसरे वर्ष से)	**124,029.25**		**124,029.25**

टिप्पणी: जीएसटी दर समय-समय पर लागू नियमो के अनुसार होगी।

(राशि रुपए में)

"पॉलिसी वर्ष (वर्ष की समाप्ति पर)"	वार्षिक [2] प्रीमियम (संचयी)	गारंटीड				गारंटीकृत नहीं	अभ्यर्पण मूल्य देय
		निश्चित अभिवृद्धियाँ	परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ [3]	गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य (GSV)	विशेष अभ्यर्पण मूल्य (SSV)4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	121,300	11,669.06	0	1,224,669	0	45,892	45,892
2	242,600	35,007.18	0	1,248,007	78,357	115,511	115,511
3	363,900	70,014.36	0	1,283,014	138,721	210,646	210,646
4	485,200	116,690.60	0	1,329,691	261,947	332,729	332,729
5	606,500	175,035.90	0	1,388,036	333,059	483,317	483,317
6	727,800	245,050.26	0	1,458,050	406,980	663,100	663,100

7	849,100	326,733.68	0	1,539,734	481,990	873,117	873,117
8	970,400	420,086.16	0	1,633,086	583,647	1,113,317	1,113,317
9	970,400	513,438.64	0	1,726,439	625,369	1,192,593	1,192,593
10	970,400	606,791.12	0	1,819,791	668,173	1,277,308	1,277,308
11	970,400	700,143.60	0	1,913,144	712,467	1,368,077	1,368,077
12	970,400	793,496.08	0	2,006,496	758,693	1,465,189	1,465,189
13	970,400	886,848.56	0	2,099,849	807,509	1,569,375	1,569,375
14	970,400	980,201.04	0	2,193,201	859,392	1,680,640	1,680,640
15	970,400	1,073,553.52	0	2,286,554	915,354	1,800,097	1,800,097
16	970,400	1,166,906.00	0	2,379,906	976,363	1,928,212	1,928,212
17	970,400	1,260,258.48	0	2,473,258	1,043,495	2,065,378	2,065,378
18	970,400	1,353,610.96	0	2,566,611	1,118,347	2,212,467	2,212,467
19	970,400	1,446,963.44	0	2,659,963	1,307,449	2,370,590	2,370,590
20	970,400	1,540,315.92	2,540,316	2,753,316	1,412,471	2,540,316	2,540,316

टिप्पणियाँ:

इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पादों की विशेषताएँ और कुछ स्तर तक परिमाणीकरण के साथ लाभ का प्रवाह पहचान पाएँ।

यह दृष्टांत एक मानक (चिकित्सीय, जीवन शैली और व्यवसायिक दृष्टि से) जीवन पर लागू होता है।

1. इसमें पॉलिसी आरंभ होने पर प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए सभी राइडर(रों) के संबंध में राइडर प्रीमियम शामिल हैं।
2. वार्षिक प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम पर प्रभार की आवृत्ति, राइडरों के प्रति भुगतान की गई प्रीमियम, यदि कोई हो, और वस्तु और सेवा कर शामिल नहीं हैं।
3. मृत्यु हितलाभ प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चयनित विकल्प पर आधारित होगा। विभिन्न विकल्पों के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के विस्तृत विवरणों के लिए विक्रय साहित्य देखें।
4. अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से उच्चतर होगा। विशेष अभ्यर्पण मूल्य की आईआरडीएआई के जीवन बीमा उत्पादों पर

   प्रधान परिपत्र देखें: आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआईआर/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांकित 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किन्हीं अनुवर्ती परिपत्रों के अनुरूप समीक्षा की जाएगी।

   * 8 वर्ष से कम आयु के अवयस्कों के मामले में, ऊपर प्रदर्शित मृत्यु पर बीमित राशि (पॉलिसी के प्रारंभ में) जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि के बाद लागू होगी।

22. शिकायत निवारण तंत्र:

निगम का:

ग्राहकों के शिकायतों के निवारण के लिए शाखा/मंडलीय/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालयों में निगम के शिकायत निवारण अधिकारी होते हैं। ग्राहक जीआरओ के नाम और संपर्क संबंधी विवरणों और शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर विज़िट कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए निगम ने अपने ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट) http://www.licindia.in, के माध्यम से ग्राहक–अनुकूल, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है, जहां पर कोई भी पंजीकृत पॉलिसीधारक शिकायत/परिवाद का पंजीकरण करा सकता है और उसकी स्थिति को देख सकता है। किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ग्राहक ई–मेल co_complaints@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्यु दावों का अस्वीकृति के निर्णय से असंतुष्ट दावाकर्ताओं के पास, अपने मामलों के पुनरीक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा परिवाद निवारण समिति या केंद्रीय

कार्यालय दावा परिवाद निवारण समिति के पास ले जाने का विकल्प है। उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य होता है।

आईआरडीएआई का:

यदि ग्राहक हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं है या हमसे 15 दिनों के अंदर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो ग्राहक, निम्नलिखित किसी भी माध्यम से संरक्षण और शिकायत निवारण कक्ष में जा सकता है:

i) टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (यानी आईआरडीएआई शिकायत कॉल सेंटर – (बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र) पर कॉल करें।)

ii) complaints@irdai.gov.in पर ई–मेल करके

iii) इंटरनेट के माध्यम से https://bimabharosa.irdai.gov.in/ पर शिकायत दर्ज करके

iv) **कूरियर/पत्र द्वारा शिकायत भेजने के लिए पता:** महाप्रबंधक, पॉलिसीधारकों की सुरक्षा और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, सर्वे संख्या – 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, गाची बावली, हैदराबाद 500032, तेलंगाना।

लोकपाल का:

दावे से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावाकर्ता बीमा लोकपाल के पास भी जा सकते हैं जो ग्राहकों को कम लागत पर त्वरित मध्यस्थता प्रदान करते हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान इस प्रकार है:

(1) पॉलिसी की तिथि, यानी पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के पश्चात जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी आधार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

(2) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के हितलाभ की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के भीतर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है:

बशर्ते, बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को ऐसे आधारों एवं तथ्यों की लिखित सूचना देनी होगी, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण I – इस उप–धारा के उद्देश्य से, अभिव्यक्ति "धोखाधड़ी" से आशय बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु उकसाने की मंशा से निम्नांकित में से कोई भी कृत्य किया जाता है:–

(ए) सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

(बी) उस बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

(सी) धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

(डी) ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो।

स्पष्टीकरण II – बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों

के बारे में सिर्फ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का यह कर्तव्य है, बोलने से चुप रहना, या अन्यथा उसकी खामोशी, अपने आप में बोलने के बराबर न हो।

(3) उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखाधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमित व्यक्ति/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जानखबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

बशर्ते धोखाधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति जो बीमा के अनुबंध का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है, उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

(4) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी करने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य दस्तावेज में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था:

बशर्ते बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह निर्णय लिया गया है:

बशर्ते महत्त्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखाधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा की गई सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितियों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप–धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमित व्यक्ति को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

(5) इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मांगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी पर केवल इसलिए प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 41):

1. किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी नहीं लेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करवाएगा या उसे जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो।

2. धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति जुर्माने से दण्डित होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू होने वाले, बीमा अधिनियम, 1938 की विभिन्न धाराएं, समय–समय पर यथा संशोधित रूप से लागू होगी।

यह उत्पाद विवरणिका इस योजना की केवल प्रमुख विशेषताएँ ही बताती है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय पर संपर्क करें।

कपटपूर्ण फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें।

आईआरडीएआई बीमा पॉलिसियाँ बेचने, बोनस घोषित करने या प्रीमियमों का निवेश करने जैसी गतिविधियों में संलग्न नहीं है। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम

“भारतीय जीवन बीमा निगम” की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुंच सके और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सके। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरतंर एक महत्त्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के छः दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

पंजीकृत कार्यालय :

भारतीय जीवन बीमा निगम,

केन्द्रीय कार्यालय, योगक्षेम,
जीवन बीमा मार्ग, मुंबई – 400021.
वेबसाइट: www.licindia.in
पंजीकरण संख्या : 512